भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3879
17 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

सैनिक स्कूलों में आरक्षण

3879. श्री दीपक बैज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों में बच्चों के दाखिले में आरक्षण नियमों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) का अनुपालन नहीं किया जाता है जिससे कम सुविधा प्राप्त लोगों को अवसर से वंचित कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा अंबिकापुर में स्कूल सहित सैनिक स्कूलों में आरक्षण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या राज्य और केन्द्र सूची में उल्लिखित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सैनिक स्कूलों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ): सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए अनुच्छेद 16 (4क) लागू नहीं है । संविधान का अनुच्छेद 16(4क) राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पारिणामिक वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है । सैनिक स्कूल में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं मेडिकल फिटनेस के माध्यम से कड़ाई से योग्यता आधार पर किया जाता है । सैनिक स्कूल सोसाइटी नियम एवं विनियम 1997 के अनुसार, सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए सीटों को एससी, एसटी एवं रक्षा श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जाता है ।

***